उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010

पत्रांक: 530 /एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनॉक: 27–07–2023

दिनांक	:	27 जुलाई, 2023
समय	:	12:00 बजे
स्थान	:	उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति	:	संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की अष्टम् बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2023–24 की अष्टम् बैठक डा. संजय सिंह, महानिदेशक उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 27 जुलाई, 2023 को उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक; शुआट्स, प्रयागराज के मौसम वैज्ञानिक; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ; रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, लखनऊ; केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र) लखनऊ; उद्यान विभाग; पशुपालन विभाग; मत्स्य विभाग; रेशम विभाग तथा परिषद के अधिकारियों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार आगामी सप्ताह (दिनांक 27 जुलाई से 02 अगस्त, 2023 तक) के आरंभिक चरण (27 से 28 जुलाई, 2023) के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा कुछ अंचलों तक सीमित रहने की संभावना है तदोपरांत पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा के क्षेत्रीय वितरण एवं तीव्रता में वृद्धि होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी अंचलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ कहीं–कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान लगभग सभी अंचलों में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने के साथ (27 से 28 जुलाई, 2023) को कहीं–कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इस दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश अंचलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है।

द्वितीय सप्ताह (03 से 09 अगस्त, 2023) का मौसम दृष्टिकोण: इस दौरान प्रदेश के अधिकांश अंचलों में गरज–चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के सभी अंचलों में अधिकतम तापमान सामान्य के आस–पास बने रहने की संभावना है। इस पखवाड़े के दौरान प्रदेश के सभी अंचलों में सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 70 से 90 प्रतिशत के बीच एवं न्यूनतम 50 से 60 प्रतिशत के बीच रहने तथा इस दौरान प्रदेश में पूर्वी हवायें औसत गति (10 से 15 कि.मी. प्रति घंटा) से चलने की संभावना है।

1 जून से 27 जुलाई, 2023 तक प्रदेश में मानसून ऋतु के दौरान औसत वर्षा 322.9 मिमी के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 279. 4 मिमी. प्राप्त हुई है जो सामान्य वर्षा का 87 प्रतिशत है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 143.0 मिमी. वर्षा प्राप्त हुई थी जो सामान्य वर्षा का 43.3 प्रतिशत थी। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में से 08 जनपदों (कन्नौज, एटा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मैनपुरी, बदायूं) में अत्यधिक वर्षा जबकि 10 जनपदों में अधिक वर्षा, 20 जनपदों में सामान्य वर्षा, 31 जनपदों में न्यून वर्षा एवं 06 जनपदों में अतिन्यून वर्षा (कौशाम्बी, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, मिर्जापुर, पीलीभीत) प्राप्त हुई है। सबसे अधिक वर्षा 680.8 मिमी. जनपद बिजनौर में रिकार्ड की गई जो सामान्य वर्षा के सापेक्ष 69 प्रतिशत अधिक है तथा सबसे कम वर्षा जनपद कौशाम्बी में रिकार्ड की गई जो सामान्य वर्षा 228.8 मिमी. के सापेक्ष मात्र 64.5 मिमी. प्राप्त हुई। जो सामान्य वर्षा का मात्र 28 प्रतिशत है।

कृषि विभाग, उ.प्र. से प्राप्त खरीफ फसलों के आच्छादन आंकड़ों के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक कुल लक्ष्य 96.20 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 61.23 लाख हेक्टेयर में बुवाई की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 63 प्रतिशत है। सुगंधित धान का लक्ष्य 8.62 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 6.01 लाख हेक्टेयर की पूर्ति हो चुकी है जो लक्ष्य का 69.6 प्रतिशत है। संकर धान के लक्ष्य 15.88 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 10.04 लाख हेक्टेयर में पूर्ति हो चुकी है, जो लक्ष्य का 63.2 प्रतिशत है। मक्का की बुआई के लक्ष्य 8 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 5.84 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो लक्ष्य का 73 प्रतिशत है। ज्वार के लक्ष्य 2.18 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 1.35 लाख हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 62 प्रतिशत है। बाजरा के लक्ष्य 10.10 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 4.41 लाख हेक्टेयर में बुवाई की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 43 प्रतिशत है। उर्द के लक्ष्य 7.25 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 3.77 लाख हेक्टेयर में बुवाई की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 52 प्रतिशत है। मूंग के लक्ष्य 0.40 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 0.25 लाख हेक्टेयर में बुवाई की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 62 प्रतिशत है। अरहर के लक्ष्य 3.60 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 2.14 लाख हेक्टेयर में बुवाई की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 59 प्रतिशत है। तिल के लक्ष्य 4.25 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 2.31 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जो लक्ष्य का 54 प्रतिशत है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले सप्ताह कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

आकस्मिक योजना

मानसून में वर्षा समय से प्रारंभ होने के उपरांत प्रदेश के अनेक जनपदों में वर्षा का लम्बा/अन्तराल होने की दशा उत्पन्न हो गई है। किंतु अगले पखवाड़े (27 जुलाई से 09 अगस्त, 2023 तक) में प्रदेश के अधिकांश अंचलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना के दृष्टिगत कृषकों को निम्न सलाह दी जाती है कि:-

- **खरीफ फसलों की बुवाई पर्याप्त नमी की दशा में ही करें।**
- **यदि बुआई में विलम्ब हो रहा हो तो दलहनी, तिलहनी व श्रीअन्न फसलों की कम अवधि की सूखा सहनशील किस्मों की बुआई की जाय।**
- **दलहनी व तिलहनी फसलों में घने पौधों का विरलीकरण (थिनिंग) कर पौध संख्या कम रखी जाय तथा मल्च के रूप में बायोमास (जैव उत्पाद) का प्रयोग किया जाय।**
- **सब्जियों तथा दलहनी व तिलहनी फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई हेतु क्यारी तथा बरहा विधि अथवा एकान्तर पंक्ति विधि को अपनायें।**
- **खेतों मे मेड़बन्दी करके नमी को संरक्षित करें तथा तालाबों, पोखरों एवं झीलों में संरक्षित वर्षा जल को फसलों की क्रान्तिक वृद्धि की दशाओं में सिंचित करने के लिये उपयोग में लायें।**
- **संग्रहित/एकत्रित किये गये जल से सब्जियों तथा दलहनी व तिलहनी फसलों में दक्ष सिंचाई विधियाँ जैसे-स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई अपनाकर फसलों को बचाये।**
- **फसलों द्वारा जल हानि को कम करने के लिये ज्वार, मक्का तथा गन्ने की पुरानी पत्तियों को पौधों से अलग कर उन्हें पंक्तियों के बीच मल्च (पलवार) के रूप में प्रयोग करें।**
- **अल्प वर्षा वाले जनपदों में धान्य फसलों की सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु 2 प्रतिशत यूरिया एवं 2 प्रतिशत म्यूरेट ऑफ पोटाश के घोल का छिड़काव करें।**
- **संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाय कि नहरों/नलकूपों की नालियों को ठीक दशा में रखे, जिससे आवश्यकतानुसार जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकें।**
- **बुन्देलखण्ड में संकेन (रेज्ड)-बेड विधि से दलहनी एवं तिलहनी की सह-फसली खेती को अपनाया जाय।**
- **धान की रोपाई का कार्य कृषक यथाशीघ्र पूर्ण करें।**
- **धान की ''डबल रोपाई या सण्डा प्लाटिंग'' हेतु दूसरी रोपाई पुनः पहले रोपे गये धान के 03 सप्ताह बाद 10 x 10 से.मी. की दूरी पर करें।**
- **धान की तैयार पौध को रोपाई से पूर्व जहां तक संभव हो 4 ग्रा. ट्राईकोडर्मा प्रति लीटर पानी की दर से अथवा 1 ग्रा. कार्बेन्डाजिम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उपचारित करें।**
- **दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जल भराव न होने दें, जल निकास का उचित प्रबन्ध करें।**
- **विलम्ब से धान की रोपाई करने पर अधिक अवधि वाली पौध (30-35 दिन) की रोपाई 2-3 पौध प्रति पुंज के स्थान पर 3-4 पौध की रोपाई प्रति पुंज करें। विशेष रूप से ऊसर एवं क्षारीय भूमियों में 3-4 पौध की रोपाई प्रति पुंज करें। रोपाई से पहले पौधों की पत्तियों के शिरों को काट दें।**
- **रोपाई के बाद जो पौधे नष्ट गए हों उनके स्थान पर दूसरे पौधों को तुरन्त लगा दें ताकि प्रति इकाई पौधों की संख्या कम न होने पाये।**

धान की खेती

- बासमती धान की पूसा-1509, पूसा बासमती-1, पूसा-1121, पूसा-1692 आदि प्रजातियों को पश्चिमी उ.प्र. में जुलाई के अंतिम सप्ताह व पूर्वी उ.प्र. में अगस्त के प्रथम पक्ष में रोपाई करें जिससे दाने की गुणवत्ता व सुगन्ध का विकास अच्छी तरह से हो सके। 20 X 15 से.मी. की दूरी पर 2 से 3 पौध की रोपाई करें। बासमती प्रजातियों में लगने वाले बकानी रोग से बचाव हेतु कार्बेन्डाजिम के 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से पौध को उपचारित करके रोपाई करें अथवा खड़ी फसल में छिड़काव करें।
- धान की सीधी बुवाई हेतु पलेवा करके ड्रम सीडर से शीघ्र पकने वाली किस्मों (100 से 120 दिन) की 50 से 55 कि.ग्रा. प्रति हे. बीज की दर से बुवाई करें।
- धान की 20-25 दिन वाली पौध की रोपाई प्रत्येक वर्गमीटर में 50-55 हिल तथा 2-3 पौधा प्रति हिल 3-4 सेमी. की गहराई तक करें।
- रोपित धान में यदि खैरा रोग लगा है तो रोग नियंत्रण के लिये फसल पर 5 किग्रा. जिंक सल्फेट 2.5 किग्रा. बुझे हुये चूने के साथ 1000 ली. पानी में मिलाकर प्रति हे. की दर से पर्णीय छिड़काव करें।

- धान की फसल में जड़ की सूड़ी से 5 प्रतिशत प्रकोपित पौधे होने की दशा में तथा दीमक का प्रकोप होने पर नियंत्रण हेतु क्लोरपायरीफॉस 20 ई.सी. 2.5 ली./हे. की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। जड़ सूड़ी के नियंत्रण के लिए फोरेट 10 जी. 10 किग्रा./हे. 3 से 5 सेमी. स्थिर पानी में बुरकाव किया जा सकता है।
- तना बेधक कीट नियंत्रण हेतु नारियल की रस्सी को फसल के ऊपर सटाकर कई बार खींचें। अधिक प्रकोप होने की दशा में कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4 जी. 16 से 18 किग्रा/हे. की दर से बुरकाव करें।
- रोपाई के उपरान्त संकरी व चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के नियन्त्रण हेतु ब्यूटाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी. 3–4 लीटर अथवा प्रोटिलाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी. 1.60 लीटर मात्रा प्रति हे. की दर से लगभग 500 ली. पानी में घोलकर फ्लैटफैन नॉजिल से 2 इंच भरे पानी में रोपाई के 3–5 दिन के अन्दर छिड़काव करें।

मक्का की खेती

- मक्का की निराई, गुड़ाई तथा विरलीकरण सहित हल्की मिट्टी चढ़ाएँ तथा जल निकास का उचित प्रबंध करें।
- 45–60 दिन की मक्का की फसल में नत्रजन की कुल संस्तुत मात्रा की एक चौथाई टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें।
- मक्का में प्ररोह मक्खी के नियन्त्रण के लिये कार्बोफ्यूरान 3 जी की 20 किग्रा. अथवा क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.50 लीटर प्रति हे. की दर से प्रयोग करें।
- शीघ्र बोई गई मक्का में कटुआ कीट के नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरीफास 20 ई.सी. 2 ली./हे. सिंचाई के साथ प्रयोग करें।
- मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 2 किग्रा./हे. की दर से बुआई के 2 दिन के अन्दर 800 ली./हे. पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

श्री अन्न की खेती

- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरा की संकुल किस्मों घनशक्ति, डब्लू.सी.सी.–75, आई.सी.एम.बी.–155, आई.सी.टी.पी.–8203, राज–171 तथा न.दे.पफ.बी.–3 तथा संकर किस्मों 86 एम 84, पूसा–322, आई.सी.एम.एच.–451 तथा पूसा–23 की बुवाई करें।
- कोदों की किस्मों यथा जी.पी.वी.के.–3, ए.पी.के.–1, जे.के.–2, जे.के.–62, वम्बन–1 व जे.के.–6 की बुवाई करें।

मूंग की खेती

- मूंग की किस्मों यथा आजाद मूंग–1, पूसा–1431, मेहा 99–125, एम.एच.–2.15, टी.एम.–9937, मालवीय, जनकल्याणी, मालवीय, जनचेतना, मालवीय जनप्रिया, मालवीय जागृति, मालवीय ज्योति, पंत मूंग 4, नरेन्द्र मूंग–1, पी.डी.एम.–11, आशा, विराट एवं शिखा की बुवाई करें। बीज का उपचार मूंग के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से अवश्य करें।

उर्द की खेती

- उर्द की किस्मों यथा शेखर–1, शेखर–2, शेखर–3, आई.पी.यू.–94–1, नरेन्द्र उर्द–1, पंत उर्द–9, पंत उर्द–8, आजाद–3, डब्लू.बी. यू.–108, पंत उर्द–31, आई.पी.यू.–2–43, तथा आई.पी.यू.– 13–1 की बुवाई करें। बीज का उपचार उर्द के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से अवश्य करें।

अरहर की खेती

- अरहर की अधिक उपज हेतु देर से पकने वाली उन्नत किस्मों यथा मालवीय चमत्कार, नरेन्द्र अरहर–2, बहार, अमर, नरेन्द्र अरहर–1, आजाद, पूसा–9, मालवीय विकास (एम.ए.6), टा–64, टा–28, चन्द्रा, उत्कर्ष, एम–13, अम्बर, चित्रा, कौशल, टी.जी. –37, आई.पी.एल.–203, आई.पी.एल.–206 तथा प्रकाश की बुवाई करें।
- यदि बीज उपचारित न हो तो एक किग्रा. बीज को 2 ग्राम थीरम तथा एक ग्राम कार्बेन्डाजिम के मिश्रण अथवा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा+1 ग्राम कार्बाक्सिन कार्बेन्डाजिम से उपचारित करें। बोने से पहले बीज को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करें।

तिल की खेती

- तिल की उन्नतशील किस्मों यथा गुजरात तिल–6, आर.टी.–346, आर.टी.–351, तरूण, प्रगति, शेखर टाइप–78, टाइप–13, टाइप–4, आर.टी.–372 व टाइप–12 की बुवाई करें।
- तिल में फाइलोडी रोग से बचाव हेतु आक्सीडिमेटान मिथाइल 25 प्रतिशत ई.सी. 01 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।

मूँगफली की खेती

- मूँगफली की उन्नतशील किस्मों चन्द्रा, उत्कर्ष, एम–13, अम्बर, चित्रा (एम.ए.10), कौशल, टी.जी. 37ए, प्रकाश की बुआई पूर्ण कर लें। देर से बुआई करने पर फसल में बडनिकोसिस बीमारी लगने की संभावना ज्यादा होती है।
- मूँगफली में खरपतवार नियंत्रण हेतु इमेजाथापर 750 मि.ली. प्रति हे. की दर से बुवाई के 25 से 30 दिन उपरांत प्रयोग करें।

गन्ना की खेती

- शरदकालीन गन्ने की प्रथम बँधाई अवश्य कर दें।
- बसन्तकालीन गन्ने में पर्याप्त ब्याँत की दशा में मिट्टी चढ़ा दें, जिससे अवांछित कल्लों की वृद्धि न हो।
- जलभराव वाले गन्ने की फसल में पानी निकलने के बाद 2 प्रतिशत यूरिया तथा 2 प्रतिशत म्यूरेट आफ पोटाश के घोल का छिड़काव करें।

- जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है वहां गन्ने के खेत में नमी बनाये रखने हेतु सतह पर हल्की गुड़ाई (डस्ट मल्चिंग) करें।
- गन्ना के कीट जैसे तना बेधक व पोरी बेधक के नियंत्रण हेतु अन्ड परजीवी ट्राइकोग्रामा कीलोनिस के 50 हजार वयस्क कीट प्रति हे. 10 दिनों के अन्तराल पर जुलाई से सितम्बर तक पत्तियों में बांधें।
- पोक्का बोइंग को नियंत्रित करने के लिये कापर आक्सीक्लोराइड 0.2 प्रतिशत अर्थात 100 लीटर पानी में 200 ग्राम की दर से अथवा वावस्टीन 0.1 प्रतिशत की दर से अर्थात 100 लीटर पानी में 100 ग्राम की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
- पायरीला का प्रकोप होने पर तथा परजीवी (इपीरिकेनिया मेलानोल्यूका) न पाये जाने की स्थिति में क्वीनालफास 25 प्रतिशत घोल 0.80 ली. प्रति हे. 625 ली. पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

सब्जियों की खेती

- बैंगन एवं मिर्च की तैयार पौध की मेड़ों पर रोपाई करें।
- सब्जियों यथा भिण्डी, ग्वार, लोबिया, लौकी, तोरई, खीरा, सीताफल, करेला व टिण्डा की बुवाई मेड़ों पर करें।
- गोल बैंगन, मध्य कालीन फूल गोभी तथा शिमला मिर्च की अगस्त माह में रोपाई हेतु बीज की बुवाई उठी हुई क्योरियों तथा लो टनल में करें।
- अदरक के कंद सड़न रोग से बचाव हेतु जल निकास का उचित प्रबंध करें तथा प्रकोप होने पर चेस्टनट कम्पाउंड का संस्तुति अनुसार छिड़काव करें।
- हल्दी एवं अरबी में जल निकास का उचित प्रबन्ध करें।
- टमाटर की अगेती संस्तुत किस्मों की बुवाई करें।
- कन्नौज तथा बस्ती जनपद में सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित है। अतः सब्जियों के उच्च कोटि के हाईब्रिड पौधे प्राप्त करने हेतु कन्नौज में 9450449436 तथा बस्ती में 9415438640 मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क स्थापित करें।

बागवानी

- आम, अमरूद, लीची, आंवला, नींबू, चिरौंजी, लसोढ़ा, महुआ तथा अन्य फलदार पौधों का रोपण करें।
- पौध प्रवर्धन हेतु आम में ग्राफ्टिंग एवं लीची व नींबू में गूँटी बाँधने का कार्य करें।
- आम की रंगीन संकर किस्मों अम्बिका, अरूणिका, पूसा श्रेष्ठ आदि प्रजातियों का रोपण करें।
- केले की ऊतक संवर्धित प्रजाति जी–9 की पौध का यथाशीघ्र रोपण करें।
- केले में फल वाले पौधों में स्टेकिंग (सहारा) दें तथा केले की तलवार पुत्ती को छोड़ते हुये शेष पुत्तियों की कटाई करें।
- फलों की गुणवत्तायुक्त पौध हेतु उद्यान विभाग की पंजीकृत पौधशालाओं, कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केन्द्रों की पौधशालाओं तथा केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ से सम्पर्क करें।
- आम के नवीन बाग लगाते समय परागण हेतु उपयुक्त किस्मों का 10 प्रतिशत रोपण अवश्य करें। दशहरी प्रजाति के साथ बाग में बम्बई ग्रीन, गौरजीत, लखनऊ सफेदा को परागण किस्म के रूप में रोपित करें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन

- वर्तमान में खुरपका एवं मुहपका बीमारी (एफ.एम.डी.) का टीकाकरण सभी पशुचिकित्सालयों में कराया जा रहा है। यह सुविधा सभी पशुचिकित्सालयों पर निशुल्क उपलब्ध है। बड़े पशुओं में गलाघोटू की रोकथाम हेतु एच.एस. वैक्सीन से तथा लंगड़िया बुखार की रोकथाम हेतु बी क्यू वैक्सीन से टीकाकरण करायें।
- लम्पी स्किन रोग (एलएसडी) एक विषाणु जनित रोग है, जिसकी रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सभी कृषक/पशु पालक अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से सम्पर्क कर इसकी रोकथाम संबंधी उपाय एवं टीकाकरण की जानकारी ले सकते हैं।
- पशुओं को खुले में न बांधे क्योंकि आकाशीय बिजली के खतरे से पशुओं को शारीरिक नुकसान हो सकता है।
- सभी पशुपालक/कृषक खरीफ चारा फसलों की उन्नतशील किस्म के बीज की बुवाई करें।
- सिंचाईयुक्त क्षेत्र में कम अवधि वाले चारा फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का, क्लस्टर बीन इत्यादि की बुवाई करें।
- अजोला की खेती को प्रदेश के पशुपालकों को बड़े पैमाने पर अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। अजोला कम अवधि में तैयार हो जाती है जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है।
- बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन एवं कुक्कुट पालन की तकनीकी जानकारी तथा इन सभी विषयों पर चल रही विभागीय योजनाओं के बारे मे सभी कृषक/पशुपालक अपने निकटतम मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/ पशुचिकित्साधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.–1962 पर सम्पर्क पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

मत्स्य पालन

- कार्प मछलियों की 50 मिमी. अथवा अधिक आकार की 10000 स्वस्थ्य अंगुलिकायें प्रति हे. की दर से संचय की जा सकती हैं।
- छः प्रजातियों के मिश्रित पालन में कतला 10 प्रतिशत, रोहू 30 प्रतिशत, मृगल 15 प्रतिशत, सिल्वर कार्प 20 प्रतिशत, ग्रास कार्प 10 प्रतिशत, कामन कार्प 15 प्रतिशत का संचय अनुपात उचित होता है।
- तालाब में यदि 4 प्रजातियों का पालन किया जाता है तो कतला 30 प्रतिशत, रोहू 25 प्रतिशत, नैन 20 प्रतिशत व कॉमन कार्प 25 प्रतिशत का संचय अनुपात उचित होता है।
- तीन प्रजातियों के पालन में कतला 40 प्रतिशत, रोहू 30 प्रतिशत व नैन 30 प्रतिशत का संचय अनुपात होना चाहिये।
- एक सप्ताह बाद जल हरा होना प्रारंभ हो जाता है जल का हल्का हरा होना मछली के आहार का सूचक है।
- यदि पानी का रंग गहरा नीला हो जाता है तो यह मछलियों के लिये हानिकारक है।
- तालाब में फाइटोप्लेटान, जूप्लेक्टान मछलियों के प्राकृतिक भोजन होते हैं जिनका उत्पादन कार्बनिक खाद व रासायनिक उर्वरक के प्रयोग फलस्वरूप होता है।
- पूरक आहार का प्रयोग तालाब में मछलियों के भार का 1 से 2 प्रतिशत प्रतिदिन के अनुसार करना चाहिये।
- तालाबों में बुझा चूना 250 किग्रा./हे. एवं गोबर की खाद 1 टन/हे. डलवा दें।
- निगम की हैचरियों पर मत्स्य बीज उपलब्ध है। अतः सभी मत्स्य पालक अपने तालाबों में मत्स्य बीज संचय करें और मत्स्य बीज का मॉग पत्र जनपद स्तर पर मत्स्य विभाग को कार्यालय में जमा कर दें।

रेशम पालन

- कृषकों द्वारा रोपित शहतूत एवं अर्जुन वृक्षारोपण में घास, खरपतवार की सफाई कर गुड़ाई का कार्य कर लें तथा एरी रेशम कीटपालन हेतु अरण्डी बीज की बुवाई करें। वृक्षारोपण में गैप फिलिंग का कार्य कर लें।
- टसर रेशम कीटपालन हेतु साफ–सफाई का अधिक ध्यान दिया जाय तथा कीट के प्रथम मोल्ट के बाद जीवनसुधा औषधी का प्रयोग करना चाहिये।
- रेशम कीटपालन के इच्छुक कृषक अपने नजदीकी रेशम अधिकारी/प्रभारी से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर कीटपालन कार्य करें।
- शहतूत व अर्जुन के लगाये हुये नवीन पौधों की समुचित देखभाल कर आवश्यक नमी बनाये रखे।

वानिकी

- पौधशाला में अंकुरण क्यारियॉ तैयार कर आम, गुलमोहर, महुआ, कटहल, जामुन, कंजी, नीम आदि के बीजों की बुआई शीघ्र कर लें। अंकुरित पौधों को रूट ट्रेनर/थैलियों में प्रतिरोपित कर रख दें।
- वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधे प्राप्त कर रोपण कार्य करें।
- पौधों को रोपण से पहले सावधानीपूर्वक पालीथीन से निकालें तथा पिण्डी को टूटने न दें उसके उपरांत ही रोपण करें।
- वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये पौधों की समुचित देखभाल करें।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 10 अगस्त, 2023 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः– क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध है।

(संजय सिंह)
महानिदेशक 27/07/23

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।

10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन, योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
16. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
17. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
18. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
19. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
20. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
21. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
22. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
23. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
24. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
25. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
26. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
27. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
28. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
29. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
30. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
31. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
32. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
33. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
34. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
35. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
36. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
37. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
38. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
39. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
40. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
41. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
42. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
43. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

27-07-23

(विनोद कुमार तिवारी)
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2023–24 की अष्टम् बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2023 की उपस्थिति

1. डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद।
2. श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उपकार, लखनऊ।
3. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
4. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी, उपकार, लखनऊ।
5. डा. विजय बहादुर द्विवेदी, संयुक्त निदेशक शाकभाजी, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।
6. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
7. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
8. डा. अतुल कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र) लखनऊ।
9. डा. राजेश कुमार उपाध्याय, प्रभागाध्यक्ष (कृषि) रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेंटर, उत्तर प्रदेश।
10. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
11. श्री नरेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, लखनऊ।
12. डा. जय पाल, वैज्ञानिक अधिकारी, उपकार, लखनऊ।
13. डा. प्रवीन चरन, टेक्नीकल आफीसर, जी.के.एम.एस. परियोजना कालेज ऑफ फारेस्ट्री शुआट्स, प्रयागराज
14. श्री राजेश कुमार, चारा विकास अधिकारी, पशुपालन, उत्तर प्रदेश।
15. श्री नीरेन्द्र कमार, रेशम विकास अधिकारी, रेशम, उत्तर प्रदेश।
16. श्री सत्येन्द्र यादव, वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।